

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 41/2021 (2021/94)  
प्रक्रिया अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 08.03.2021

शीर्षक

मोती लाल पिता कालू गाडरी निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-प्रार्थी

बनाम

1. नाथु पिता भूरा गाडरी
  2. श्रीमती मांगी पुत्री भूरा गाडरी
  3. लालू पुत्र भूरा गाडरी
  4. श्रीमती कैलाशी पुत्री नाथू भील
  5. कालूराम पित मूला भील
  6. गोगा पिता मूला भील
  7. श्रीमती झमकू देवी पत्नि मूला भील
  8. श्रीमती देऊ पत्नि नाथू भील
  9. श्रीमती प्रेमी देवी पुत्री नाथू भील
  10. श्रीमती बाली देवी पुत्री मूला भील
  11. श्रीमती मंशा पुत्री नाथू भील
  12. रामलाल पुत्र नाथू भील
  13. शंभू लाल पिता मूला भील
  14. श्रीमती लेहरी पुत्री रेवता भील
  15. श्रीमती शांति पुत्री मूला भील
  16. श्रीमती सुन्दर पुत्री रेवता भील
  17. श्रीमती सायरी पुत्री घीसा भील
  18. श्रीमती जमनी पत्नि ज्वारू गाडरी
  19. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर
- सर्व निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

उपस्थिति-

अधिवक्ता प्रार्थीया:-श्री भगवती लाल टेलर

-विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-04.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ सहाड़ा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता नं० 742 में स्थित आराजी संख्या 3921/636 रकबा 0.2000 हे०, 3923/636 रकबा 0.2200 हे०, 3924/636 रकबा 0.2300 हे०, 641 रकबा 0.4600 हे० कुल किता 4 कुल रकबा 1.1100 हे० एवं खाता संख्या 742 में स्थित आराजी संख्या 639 रकबा 008 हे० कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 हे० भूमि अन्य विपक्षीगण के साथ स्थित है। भूमियां प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी सन्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी स्तम्भों की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 3, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः विपक्षी संख्या 19 परोकार सरकार के आधिकारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः विपक्षी संख्या 19 परोकार सरकार के आधिकारिक पक्षकार होने से उसके कायम मुकाम पेश नहीं करना चाहा एवं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।



बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 742 मे स्थित आराजी संख्या 3921/636 रकबा 0.2000 हे०, 3923/636 रकबा 0.2200 हे०, 637 रकबा 0.2300 हे०, 641 रकबा 0.4600 हे० कुल किता 4 कुल रकबा 1.1100 हे० एवं खाता संख्या 435 मे स्थित आराजी संख्या 639 रकबा 008 हे० कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 हे० भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना देखवली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- ( पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/- ( पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित मिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर को सूचित जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर जिला मीलवाड़ा